[2021] 6 एस सी आर 239

अवतार सिंह और हमारा।

वी.

बिमला देवी और ओआरएस।

(2021 की सिविल अपील संख्या 6096)

29 सितंबर, 2021

[के. एम. जोसेफ और एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - s.100-पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 प्रत्यर्थियों/वादियों द्वारा दायर मुकदमा जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी

नं. 2 4 ने पहली मंजिल पर बने वादी के घर पर जबरन कब्जा करने के इरादे से अवैध रूप से छत (इमारत की पहली मंजिल के) के लिंटेल हिस्से को तोड़ दिया; और आगे गुप्त रूप से एक सीढ़ी परीक्षण अदालत और पहली अपीलीय अदालत का निर्माण किया।

न्यायालय अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने के बाद-जिसमें

एक स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट जिसने स्थल का दौरा किया था-मुकदमे को खारिज कर दिया-दूसरी अपील-उच्च न्यायालय ने एस द्वारा आवश्यक कानून के पर्याप्त प्रश्न को तैयार किया। 100 सी. पी. सी. और वादी के पक्ष में इसका जवाब दिया, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमे की डिक्री-का औचित्य-आयोजित किया गयाः न्यायोचित नहीं-स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट

उत्तरदाताओं/वादियों के मामले की पुष्टि की कि एक सीढ़ी मौजूद नहीं थी, या बल्कि यह कि यह निर्माण के चरण में थी और पूरी नहीं हुई थी-रिपोर्ट ने वादियों के आरोप को भी उजागर किया कि छत के लिंटेल में छेद किए गए थे-इसके अलावा, चौबारा के आयाम, जैसा कि स्थानीय द्वारा पाया गया था।

आयुक्त, दूसरे द्वारा जो कहा गया था उससे अलग था

प्रतिवादी-निचली अदालतों ने स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के रूप में साक्ष्य को नजरअंदाज कर दिया-चौबारा के कब्जे के मुद्दे के संबंध में-स्थानीय आयुक्त से न तो जिरह की गई और न ही उनकी रिपोर्ट पर आपत्ति जताई गई।

उपलब्ध अधिकारिता के तीन अंगों को देखते हुए तथ्य को दूसरे अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 41 के तथ्य के निष्कर्ष जो हैं -

अनुचित, या जो अभिलेख की अनदेखी करके प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए, अपने आप में उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी अपीलीय समीक्षा के दायरे में नहीं आते हैं।

निष्कर्ष-जो पूरी तरह से अभिलेख के पुनर्मूल्यांकन पर आधारित हैं-और परिणामस्वरूप निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

[2021] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1 . स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट ने पुष्टि की

उत्तरदाताओं/वादियों का मामला कि एक सीढ़ी मौजूद नहीं थी, या बल्कि यह कि यह निर्माण के चरण में थी और नहीं थी

पूरा किया। रिपोर्ट में वादी के इस आरोप को भी उजागर किया गया कि छत के लिंटेल में छेद किए गए थे। इसके अलावा, चौबरा के आयाम, जैसा कि स्थानीय आयुक्त ने पाया, दूसरे प्रतिवादी द्वारा कही गई बात से अलग थे। [पैरा 14] [245-जी]

2. साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि निर्विवाद रूप से

दूसरा प्रतिवादी का अधिकार-और शायद स्वामित्व भी।

-

भूतल की दुकान से इनकार नहीं किया जा सकता था। इसलिए, पंजीकृत के आधार पर निचली अदालतों के निष्कर्ष

दस्तावेजों में गलती नहीं की जा सकती है। हालांकि, इन दोनों अदालतों ने अन्य सबूतों को नजरअंदाज कर दिया-स्थानीय के रूप में

चौबारा के कब्जे के मुद्दे के संबंध में आयुक्त की रिपोर्ट। स्थानीय आयुक्त से न तो जिरह की गई और न ही उनकी रिपोर्ट पर आपत्ति जताई गई। [पैरा 15] [245-एच; 246 ए-बी]

3. केवल तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 41 के तहत उपलब्ध अधिकारिता के तीन अंगों को देखते हुए दूसरे अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग। तथ्य के निष्कर्ष जो अनुचित हैं, या जो अभिलेख की अनदेखी करके प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए, स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी अपीलीय समीक्षा के दायरे में नहीं आते हैं। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के निष्कर्ष-जो पूरी तरह से अभिलेख के पुनर्मूल्यांकन पर आधारित हैं-और परिणामस्वरूप निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। [पैरा 18] [248-सी-डी]

पंकजक्षी बनाम। चंद्रिका (2016) 6 एससीसी 157: [2016]

कुलवंत कौर बनाम गुरदियाल सिंह मान (2001) 4 एससीसी 262 [2001] 2 एस. सी. आर. 525 को खारिज कर दिया गया।

धनपत बनाम. शिव राम (2020) 16 एस. सी. सी. 209; रणधीर कौर बनाम। पृथ्वी पाल सिंह (2019) 17 एससीसी 71: [2019] 9 एससीआर 776-पर निर्भर।

अवतार सिंह और हमारा। वी. बिमला देवी और ओआरएस।

मामला कानून संदर्भ

[2016] 3 एससीआर 1018

पीछा किया।

पै

रा 16

[2001] 2 एससीआर 525

निरस्त किया गया

पै

रा 16

(2020) 16 एससीसी 209

उस पर भरोसा करें

पै

रा 16

[2019] 9 एससीआर 776

उस पर भरोसा करें

पै

रा 16

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.6096

2021 से।

उच्च न्यायालय के 24.08.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2010 (ओ एंड एम) के आर. एस. ए. No.932 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा का न्यायालय।

डी. एस. बाली, के. के. मोहन, फिरोज सैफी, सुश्री शालू शर्मा, अधिवक्ता।

अपीलार्थियों के लिए।

तरुणवीर सिंह खेहर, शंकर दिवाते, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. विशेष अवकाश दिया गया। पक्षों के वकील को सुना गया, जिसके साथ

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश पर सवाल उठाने वाली अपील के अंतिम निपटारे के लिए उनकी सहमति।

2. प्रासंगिक तथ्य यह है कि संपत्ति में 'ए. बी. सी. डी.' चिह्नित किया गया है।

जी. टी. रोड, शाहाबाद मार्कंडा में स्थित स्थल योजना (मुकदमे के साथ प्रस्तुत) को कथित रूप से पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्तियों के दावे के बदले में पहले प्रतिवादी के नाम पर खरीदा गया था। यह कहा गया था कि संयुक्त पारिवारिक संपत्तियां एक हिंदू अविभाजित परिवार की थीं, जिसमें दूसरे वादी (इसके बाद राजपाल), उनके पिता और पहले प्रतिवादी (इसके बाद गिरधारी लाल) शामिल थे। राजपाल के भाई होने के नाते गिरधारी लाल ने 1961 में राजपाल की पत्नी, बिमला देवी (पहली वादी/पहली प्रतिवादी, जिसे उनके नाम से संदर्भित किया गया है) को पूरी इमारत की पहली मंजिल की छत ('ए. बी. सी. डी.' चिह्नित) के साथ 'जी. एफ. ई. डी. सी. बी.' चिह्नित हिस्से को कुल 2500/- रुपये में बेचने पर सहमति व्यक्त की। यह राशि कथित तौर पर थी गिरधारी लाल द्वारा प्राप्त किया गया जो बिमला देवी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर बिक्री विलेख को निष्पादित करने के लिए सहमत हुए। गिरधारी लाल ने राजपाल को भी कब्जा सौंप दिया और तब से वादी संपत्ति के शांतिपूर्ण कब्जे में होने का दावा करते हैं। मुकदमे में आरोप लगाया गया कि गिरधारी लाल को छोड़ दिया गया था

1 आर. एस. ए. 932/2010 (ओ. एंड. एम.) में दिनांकित 24.8.2016।

बाजार समिति, शाहाबाद (एम) ने एक अलग इकाई (नंबर 647, वार्ड नंबर 13, शाहाबाद (एम)) के रूप में 'ओ. जे. एच. सी.' चिह्नित हिस्से का मूल्यांकन किया। बिमला देवी का नाम। चूँकि छत तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ केवल उक्त आवासीय भाग में थीं और छत तक किसी अन्य तरफ से पहुँच नहीं थी, इसलिए छत भी उनके विशेष कब्जे में थी।

3. मुकदमे में आरोप लगाया गया कि 05.03.2000 पर, प्रतिवादी संख्या। 2 4 ने अवैध रूप से और पहली मंजिल पर निर्मित वादी के घर पर जबरन कब्जा करने के इरादे से छत के लिंटेल हिस्से (साइट प्लान में दिखाए गए बिंदु X से Y तक, पहली मंजिल) को तोड़ दिया। यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने इमारत की पहली मंजिल पर जबरन कब्जा करने के लिए गुप्त रूप से 'एईएफजी' चिह्नित हिस्से में एक सीढ़ी का निर्माण किया था।

4. गिरधारी लाल ने अपने लिखित बयान में इस बात से इनकार किया कि वादी के पास कार्रवाई का कोई कारण था और दावा किया कि उनके पास कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है।

फाइल करें और सूट का रखरखाव करें। लिखित बयान में आरोप लगाया गया कि वर्ष 1961 में उनके नाम पर अधिग्रहित की गई संपत्ति किसी भी हिंदू संयुक्त परिवार की नहीं थी, जैसा कि वादी ने आरोप लगाया था, क्योंकि उन्होंने अपना धन खर्च किया था। उन्होंने राजपाल को संपत्ति बेचने के लिए समझौता करने से इनकार किया और दावा किया कि उन्हें न तो कोई बिक्री मिली है विचार किया और न ही राजपाल को कब्जा सौंपा। गिरधारी लाल ने दुकान की पहली मंजिल के साथ एक पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा दूसरे प्रतिवादी (इसके बाद, अवतार सिंह) को 'एजीएफई' चिह्नित दुकान बेच दी। यह आरोप लगाया गया था कि तब से अवतार सिंह संपत्ति के अनन्य कब्जे में थे।

5. गिरधारी लाल के लिखित बयान में लगाए गए आरोपों का बचाव प्रतिवादी नं. 2 4 को एक संयुक्त लिखित बयान में। उन्होंने दोहराया कि अवतार सिंह ने गिरधारी लाल से चौबारा (सभी पर दरवाजे/खिड़कियों से घिरा एक कमरा) के साथ विवाद में दुकान खरीदी थी

चार तरफ) छत पर स्थित है, ₹3 लाख के मूल्यवान विचार के लिए अवतार सिंह और ओआरएस।

वी. बिमला देवी और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

एक दिनांकित बिक्री विलेख द्वारा 06.08.1999 और कब्जा उसे सौंप दिया गया था। किराएदार के रूप में खरीदारी करने और बिजली के सामान और पनडुब्बी पंपों के स्पेयर पार्ट्स का व्यवसाय करने से पहले अवतार सिंह के पास 30 साल से अधिक समय से दुकान थी। यह आग्रह किया गया कि प्रतिवादी दुकान, छत के साथ-साथ चौबारा के शांतिपूर्ण कब्जे में हैं

उस पर।

6. स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट सहित अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने के बाद निचली अदालत और पहली अपीलीय अदालत

जिन्होंने मुकदमे के दौरान दिए गए आदेशों के अनुसार, स्थल का दौरा किया-मुकदमे को खारिज कर दिया। बिमला देवी (पहली वादी) ने दूसरा विकल्प चुना।

अपील करें। उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता (सी. पी. सी.) की धारा 100 के अनुसार कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया, जो इस प्रकार हैः

" क्या अपीलार्थियों के दावे के संबंध में नीचे दिए गए न्यायालयों के निष्कर्ष तीन दुकानों की पहली मंजिल पर चोबरों के उनके कब्जे और दुकान के लिंटेल में छेद को बंद करने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा

अवतार सिंह भौतिक साक्ष्य की अनदेखी करने का परिणाम है और

साक्ष्य का गलत अध्ययन इसे विकृत बनाता है "।

उच्च न्यायालय ने वादी, बिमला देवी और राजपाल के पक्ष में महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया, और परिणामस्वरूप अनुमति दी

दूसरी अपील, जिसके परिणामस्वरूप वाद की डिक्री होती है। उच्च न्यायालय के फैसले को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

7. अपीलार्थियों/प्रतिवादियों की ओर से पेश विद्वान वकील श्री के. के. मोहन ने तर्क दिया कि विवादित निर्णय स्पष्ट रूप से कानून की त्रुटि है।

क्योंकि यह अभिलेख से संबंधित परिस्थितियों की पूरी तरह से गलत सराहना के आधार पर तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को परेशान करता है। श्री. मोहन इस बात को रेखांकित करते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को धारा 100 सी. पी. सी. के ढांचे के भीतर नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने शिकायत की कि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत और जिला अदालत के तर्क की ओर से विकृति मानी और दस्तावेजों के साथ-साथ मौखिक बयानों के रूप में प्रासंगिक और भौतिक साक्ष्य की अनदेखी की।

8. अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया कि अवतार सिंह अन्य दो प्रतिवादियों (प्रतिवादी संख्या। 3 और 4); उन्होंने खरीदा

1999 में [2021] 6 एस. सी. आर. से एक पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा विवादित चौबारा के साथ 3 लाख के लिए 43.33 वर्ग गज मापने वाली दुकान।

गिरधारी लाल, जिनकी सूट के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस तथ्य की निचली अदालत ने सराहना की, जिसने मुकदमे में लगाए गए आरोपों के बजाय पंजीकृत दस्तावेज को विश्वास दिलाया कि बेचने के लिए एक पूर्व समझौता-जो एक अपंजीकृत दस्तावेज था-को निष्पादित किया गया था।

बिमला देवी और राजपाल का पक्ष लिया, और जिसके आधार पर उन्होंने अपना दावा किया।

प्रतिवादी बिमला देवी ने लेकिन मुकदमे के दौरान ही दिन की रोशनी देखी। नतीजतन, तथाकथित समझौते (एक्स. पी.-3) को निचली अदालत और पहली अपीलीय अदालत दोनों ने अस्वीकार कर दिया और बदनाम कर दिया। इस पहलू को उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था। तथ्य के शुद्ध निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़े, भले ही यह कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करने के लिए कथित था।

10. यह आग्रह किया गया कि एक बार जब वादी ने एक्स. डी.-1 के उचित निष्पादन को स्वीकार कर लिया, तो उच्च न्यायालय द्वारा सराहना किए गए साक्ष्य और इसकी टिप्पणियों कि पक्षकारों द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि वाद संपत्ति का स्वामित्व अलग-अलग कार्यवाही में निर्णय के लिए लंबित था, एक अतिप्रवाह और असमर्थनीय था। श्री मोहन ने यह भी प्रस्तुत किया कि वादी ने एक्स. डी. 1 के निष्पादन से पहले अवतार सिंह की किरायेदारी को स्वीकार किया था। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि निचली अदालतों ने इस तथ्य को महत्व दिया कि पंजीकृत दस्तावेज़ को दरकिनार नहीं किया जा सकता है और इसकी सामग्री को अंकित मूल्य पर लिया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया था कि इन सभी कारकों को देखते हुए, तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों के साथ उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप अनुचित था।

11. प्रत्यर्थियों/वादियों की ओर से पेश विद्वान वकील श्री तरुणवीर सिंह खेहर ने अपील में फैसले का समर्थन किया। उन्होंने प्रस्तुत किया

कि मुकदमे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अवतार सिंह और ओआरएस के साथ समझौते के बाद।

वी. बिमला देवी और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

बिक्री 1978 में की गई थी, वादी को संपत्ति के साथ कब्जा दिया गया था। यह रेखांकित किया गया कि वादी ने संपत्ति के कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण किया और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि तीन दुकानों की पहली मंजिल पर दो हिस्से थे। यह महत्वपूर्ण रूप से तर्क दिया गया था कि चौबरा के आयाम अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों द्वारा लगाए गए आरोप से अलग थे।

12. उत्तरदाताओं/वादियों की ओर से भी उपस्थित विद्वान वकील

दुकान परिसर (अवतार सिंह) के भीतर से अलग सीढ़ियाँ बनाने के लिए कहा गया था क्योंकि स्थानीय आयुक्त ने ऐसा पाया था छेद।

विश्लेषण और निष्कर्ष

13. अपीलार्थियों/प्रतिवादियों के मुख्य तर्कों में से एक यह है कि विवादित निर्णय गलत है, क्योंकि यह समवर्ती को परेशान करता है। तथ्य के निष्कर्ष। इस बात पर जोर दिया जाता है कि भले ही दूसरी अपील में विचार के लिए कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया गया था, लेकिन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग और दो निचली अदालतों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप अनुचित था।

14. स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट ने पुष्टि की

यह निर्माण के चरण में था और पूरा नहीं हुआ था। रिपोर्ट में वादी के इस आरोप को भी उजागर किया गया कि छत के लिंटेल में छेद किए गए थे। इसके अलावा, चौबरा के आयाम, जैसा कि पाया गया है स्थानीय आयुक्त द्वारा, जो अवतार सिंह द्वारा कहा गया था, उससे अलग था।

15. साक्ष्य की समग्र चर्चा से यह स्पष्ट है कि

निर्विवाद रूप से अवतार सिंह का अधिकार और शायद स्वामित्व भी-[2021] 6 एस. सी. आर.

भूतल की दुकान से इनकार नहीं किया जा सकता था। इसलिए, पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर निचली अदालतों के निष्कर्षों को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। हालाँकि, इन दोनों अदालतों ने चौबारा के कब्जे के मुद्दे के संबंध में अन्य साक्ष्य-स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के रूप में-को नजरअंदाज कर दिया। स्थानीय आयुक्त से न तो जिरह की गई और न ही उनकी रिपोर्ट पर आपत्ति जताई गई। 16. इन परिस्थितियों में, जो सवाल उठता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने निर्विवाद रूप से हस्तक्षेप किया है।

तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष। इस अदालत ने अपने पांच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में, पंकजक्षी बनाम. चंद्रिका 2 ने अभिनिर्धारित किया कि पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 41 के प्रावधान जारी रहे, न कि धारा 100 सी. पी. सी.। न्यायालय ने कहा किः

" 27. ..... पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 41 1918 की पुरानी है। जाहिर है, इसलिए, यह द्वारा बनाया गया कानून नहीं है

भारत के संविधान के बाद किसी राज्य का विधानमंडल लागू हुआ है। यह भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 80 ए के तहत एक प्रांतीय विधानमंडल द्वारा बनाया गया एक कानून है, जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रारंभ से ठीक पहले ब्रिटिश भारत में धारा 292 द्वारा लागू एक कानून होने के नाते जारी रखा गया था। इसके बदले में, भारत का संविधान लागू होने और अनुच्छेद 395 द्वारा भारत सरकार अधिनियम, 1935 को निरस्त करने के बाद, पंजाब न्यायालय अधिनियम इस क्षेत्र में लागू एक कानून बना रहा।

प्रारम्भ होने से ठीक पहले भारत का

अनुच्छेद 372 (1) के आधार पर भारत का संविधान

भारत का संविधान। इस मामले में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 का इस तरह के कानून पर कोई अनुप्रयोग नहीं होगा क्योंकि यह किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून नहीं है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 372 के आधार पर जारी एक मौजूदा कानून है। यदि बिल्कुल भी हो, तो केवल अनुच्छेद 372 (1) ही ऐसे कानून पर लागू होगा जो किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित या निरस्त या संशोधित किए जाने तक लागू रहेगा। हम पहले ही पा चुके हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 97 (1) के बाद से इसका कोई अनुप्रयोग नहीं है

पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 41 के अनुसार, यह अनिवार्य रूप से एक लागू कानून के रूप में जारी रहेगा।

2 (2016) 6 एससीसी 157।

अवतार सिंह और हमारा। वी. बिमला देवी और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

नतीजतन, कुलवंत कौर मामले में पिछली छोटी पीठ ने सिंह मान 3 को आदेश दिया जिसमें कहा गया था कि धारा 41 1976 में इसके संशोधन के बाद 100 सी. पी. सी. के साथ असंगत है, और यह कि बाद वाला

इल्स, को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था।

17. पंकजक्षी (उपरोक्त) में निर्णय इस न्यायालय के बाद के निर्णयों पर चर्चा के लिए आया। धनपत बनाम। शीओ राम 1,

छ. पूर्व निर्णय रणधीर कौर बनाम में निर्णय। पृथ्वी पाल

5 , यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया थाः

" 13. यह ध्यान दिया जा सकता है कि संविधान पीठ को देखते हुए

पंकजक्षी बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। चंद्रिका

[पंकजक्षी बनाम। चंद्रिका (2016) 6 एस. सी. सी. 157: (2016) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 105], पंजाब और हरियाणा में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी,

अभिलिखित तथ्य का पता लगाने में भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है

वी. पृथ्वी पाल सिंह [रणधीर कौर बनाम। पृथ्वी पाल सिंह, (2019) 17 एससीसी 71: (2020) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 372], जिसमें

धारा के तहत दूसरी अपील में हस्तक्षेप की गुंजाइश

41 राज्यों में लागू पंजाब न्यायालय अधिनियम पंजाब और हरियाणा को निम्नलिखित रूप में चित्रित और आयोजित किया गया थाः

(रणधीर कौर मामला [रणधीर कौर बनाम। पृथ्वी पाल सिंह,

(2019) 17 एससीसी 71: (2020) 3 एस. सी. सी. (सिविल) 372], एस. सी. सी. पी. 80 ,

पैरा 15-16)

" 15. उपरोक्त निर्णयों के अवलोकन से पता चलेगा कि दूसरी अपील में अधिकार क्षेत्र इस आधार पर तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना है कि निष्कर्ष गलत हैं, हालांकि, त्रुटि सकल या अक्षम्य प्रतीत हो सकती है। द. तथ्य के निष्कर्षों में आधार पर निष्कर्ष भी शामिल होंगे

दस्तावेजी साक्ष्य। में हस्तक्षेप करने का अधिकार क्षेत्र

दूसरी अपील केवल तभी की जाती है जब कानून में कोई त्रुटि हो या

प्रक्रिया और न केवल तथ्य के प्रश्न पर एक त्रुटि।

16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय [पृथ्वी पाल सिंह बनाम। रणधीर कौर, 2015 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 4792]

1) 4 एससीसी 262। (घ) 16 एस. सी. सी. 209। 9) 17 एससीसी 71।

बाद में दर्ज तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सका

साक्ष्य की प्रशंसा केवल इसलिए कि उच्च न्यायालय

सोचा कि एक और दृश्य एक बेहतर दृश्य होगा। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी की ओर से भूमि खरीदने के लिए वकील की प्रथम शक्ति में खंड की अनुपस्थिति पर विचार किया है; यह तथ्य कि वादी ने नहीं किया है

गवाह के रूप में दिखाई दिया।

19. पूर्वगामी कारणों को ध्यान में रखते हुए, विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। अपील को तदनुसार अनुमति दी जाती है, बिना आदेश के लागत।

अपील की अनुमति दी गई।

बिभूति भूषण बोस